

उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी, महवा

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

दीप सिंह बनाम श्रीमती
मु. सं. 9/16

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

23/18 आज पन्नावले पेश हुई। वकील प्रार्थी पक्ष
परिधत / पी.ओ साहब बाहर पधारे हैं। पत्रावली
वास्ते प्रकीर्ण वि. 24:5-18 को पेश की

प्रार्थीगण की ओर से दवे में प्रार्थन
पत्र पेश होने पर पत्रावली प्राप्त की गयी।
प्रार्थीगण मय वकील उपस्थित। प्रार्थीगण
दपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को
चलता नहीं चाहते हैं प्रार्थीगण का काद
भी स्वारिज किया जा चुका है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई
निषेधाज्ञा नहीं चलाने के कारण स्वारिज
किया जाता है तथा प्रार्थीगण के पक्ष में
जारी अन्त अस्थाई निषेधाज्ञा दि. 18-1-16
निस्त की जाती है। पत्रावली क्रिसल शुमार
के व शामिल मूल काद रहे।

कोदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
महवा (खिला दौता)

दीप सिंह
प्रकीर्ण